10/23 वकील वादी एवं वादी दोनों अनुपस्थित। न्यायालय समय से तीन मर्तबा आह्वान पुकारवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौरन खुमार होकर वाद दफील वकील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़